राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशालय विशेष योग्यजन

क्रमांक : एफ. 10(1) ( )विधि / वि.यो./2019/ 15770 दिनांक 08/01/2020

परिपत्र

विषयः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 7 की धारा 38 के अर्न्तगत "अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध" की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति के सबंध में।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 के अर्न्तगत अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तिओं के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान दिया गया है , जो निम्न प्रकार हैः-

38. अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तिओं के लिए विशेष उपबंध

(1) संदर्भित निःशक्त कोई व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे की आवश्यकता समझता है या उसके निमित्त कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध करते हुए समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित होने वाले प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, इसे ऐसे व्यक्तिओं से मिलकर बनने वाले निर्धारित बोर्ड को भेजेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) निर्धारित बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन इसे निर्दिष्ट किए गए मामले को ऐसी रीती में निर्धारित करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और अधिक सहारे की आवश्यकता और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी, रिपोर्ट के अनुसार और इस निमित समुचित सरकार की सुसंगत स्कीमों और आदेशो के अधीन सहारा प्रदान करने के लिए उपाय करेगा।

उक्त परिपेक्ष्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 7 की धारा 38 के अर्न्तगत ''अधिक सहारे की आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध'' की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को नियुक्त किया जाता है।

(डी.बी गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः– 14771-891 / 08/01/2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव